बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग,
हवाई अड्डा, पटना– 800014

—:: अधिसूचना ::—

पटना, दिनांक– 18/09/2026

सि०वि०वि०(स्था०)–01–09/2026–1298 भारतीय–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, सिविल विमानन विभाग के तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदों में भर्ती एवं प्रोन्नति आदि को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली अधिसूचित करते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । –

1.1 यह नियमावली *''बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026''* कही जा सकेगी ।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

1.3 यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ । –

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

2.1 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ।

2.2 'विभाग' से अभिप्रेत है सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना ।

2.3 'डी०जी०सी०ए०' से अभिप्रेत है नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार ।

2.4 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विमानन संवर्ग।

2.5 'उपसंवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विमानन संवर्ग के उपसवंर्ग।

2.6 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन नियुक्ति के मामले में निर्णय लेने हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार।

2.7 'परिशिष्ट–'क' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट–'क', जिसमें विभाग में सृजित पदों के पदनाम, पद की प्रकृति, नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु अर्हता, आयुसीमा, पदों पर भर्ती/नियोजन/प्रोन्नति की प्रक्रिया आदि का उल्लेख है।

2.8 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग।

2.9 'नियमित भर्ती हेतु चयन समिति' से अभिप्रेत है इस अधिसूचना के नियम 4.3 के अंतर्गत गठित चयन समिति।

2.10 'संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति एवं विभागीय पदोन्नति समिति' से अभिप्रेत है इस अधिसूचना के नियम 4.4 के अंतर्गत गठित चयन समिति।

2.11 ''सीधी भर्ती'' से अभिप्रेत है इस संवर्ग के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन, जो पद की प्रकृति एवं परिशिष्ट–'क' में निर्धारित प्रावधान के अनुसार– (i) इस नियमावली के नियम–4.3 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से अथवा (ii) बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुभव के आधार पर।

2.12 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्रेत है सिविल विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।

2.13 'तकनीकी/उच्च तकनीकी पद' से अभिप्रेत है ऐसे पद जिनकी नियुक्ति/नियोजन हेतु अर्हता तकनीकी हो, जो डी०जी०सी०ए० के प्रावधानों के आलोक में निर्धारित हो।

2.14 'विंग' से अभिप्रेत है विभाग अंतर्गत गठित दो विंग यथा 1. प्रशासनिक विंग एवं 2. तकनीकी विंग।

2.15 'इकाई' से अभिप्रेत है तकनीकी विंग के दो भाग यथा 1. वायुयान संगठन इकाई एवं 2. उड्डयन प्रशिक्षण इकाई।

2.16 'उत्तरदायी प्रबंधक' से अभिप्रेत है, डी०जी०सी०ए० के प्रावधान के आलोक में विभाग के तकनीकी विंग अंतर्गत वायुयान संगठन इकाई एवं उड्डयन प्रशिक्षण इकाई के लिए विभाग द्वारा मनोनीत ऐसे पदाधिकारी जो डी०जी०सी०ए० द्वारा उत्तरदायी प्रबंधक के रूप में मान्य किया गया हो।

3. बिहार राज्य विमानन संवर्ग की संरचना । –

3.1 संवर्ग के अंतर्गत वायुयान संगठन इकाई में निम्नांकित उपसंवर्ग होंगे–

3.1.1 विमान चालक/पायलट उपसंवर्गः–

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	विमान चालक/पायलट	मूल कोटि	राजपत्रित
ii	वरीय विमान चालक/पायलट	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	राजपत्रित
iii	मुख्य विमान चालक	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान	राजपत्रित

3.1.2 हेलिकॉप्टर चालक/पायलट उपसंवर्गः–

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	हेलिकॉप्टर पायलट	मूल कोटि	राजपत्रित
ii	वरीय हेलिकॉप्टर चालक/पायलट	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	राजपत्रित

3.1.3 इंजीनियर उपसंवर्ग :–

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	मैकेनिक/तकनीशियन (वायुयान/हेलिकॉप्टर/रेडियो)	मूल कोटि	अराजपत्रित
ii	विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) वायुयान/हेलिकॉप्टर/रेडियो	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	राजपत्रित
iii	मेन्टेनैंस मैनेजर (अनुरक्षण प्रबंधक)	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान	राजपत्रित
नोट– मैकेनिक/तकनीशियन वायुयान, मैकेनिक/तकनीशियन हेलिकॉप्टर एवं मैकेनिक/तकनीशियन रेडियो क्रमशः विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) वायुयान, विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) हेलिकॉप्टर एवं विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) रेडियो के पद पर प्रोन्नत हो सकेंगे। विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) वायुयान/हेलिकॉप्टर/रेडियो में से वरीष्ठ योग्य उम्मीदवार मेन्टेनैंस मैनेजर के पद पर प्रोन्नत हो सकेंगे।			

3.1.4 तकनीकी सहायक उपसंवर्गः–

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	क्लीनर सह हेल्पर	मूल कोटि	अराजपत्रित
ii	टेक्नीकल ऑफिसर	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	अराजपत्रित

3.1.5 **भंडारपाल उपसंवर्गः–**

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	सहायक भंडारपाल	मूल कोटि	अराजपत्रित
ii	मुख्य भंडारपाल	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	अराजपत्रित

3.2 संवर्ग के अंतर्गत उड्डयन प्रशिक्षण इकाई (बिहार उड्डयन संस्थान) में निम्नांकित उपसंवर्ग होंगे–

3.2.1. **उड्डयन प्रशिक्षक/फ्लाईट इन्सट्रक्टर उपसंवर्गः–**

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	सहायक उड्डयन प्रशिक्षक	मूल कोटि	राजपत्रित
ii	उड्डयन प्रशिक्षक	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	राजपत्रित
iii	उप मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान	राजपत्रित
iv	मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक	प्रोन्नति का तृतीय सोपान	राजपत्रित

3.2.2. **ग्राउण्ड प्रशिक्षक/ग्राउण्ड इन्सट्रक्टर उपसंवर्गः–**

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	2	3	4
i	ग्राउण्ड इन्सट्रक्टर	मूल कोटि	राजपत्रित
ii	चीफ ग्राउण्ड इन्सट्रक्टर	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	राजपत्रित

3.3 विभाग के ऐसे तकनीकी पद, जो उक्त उपसंवर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, वे अपने–अपने उपसंवर्ग के पृथक/एकल पद समझे जायेंगे। ऐसे पदों के विवरण निम्नवत् हैं :–

क्र०सं०	वायुयान संगठन इकाई के पद	क्र०सं०	उड्डयन प्रशिक्षण इकाई के पद
1	क्वालिटी मैनेजर	1	क्वालिटी मैनेजर
2	निरंतर उड़न योग्यता प्रबंधक	2	निरंतर उड़न योग्यता प्रबंधक
3	चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर	3	सिन्थेटिक फ्लाईट इन्सट्रक्टर
4	चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी	4	चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर
5	सुरक्षा प्रबंधक	5	चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी
6	पेन्टर	6	सुरक्षा प्रबंधक
7	फ्लाईट डिस्पैचर	7	मैनेजर ए0टी0सी0
8	कन्सलटेन्ट	8	लाईब्रेरियन
9	सिविल इंजिनियर	9	उड्डयन लिपिक
		10	मेडिकल ऑफिसर
		11	पारा मेडिकल स्टॉफ

3.4 विभाग में सृजित तकनीकी पदों को तकनीकी विंग तथा सृजित गैर–तकनीकी/प्रशासनिक पदों (जैसे–भा०प्र०से०/बि०प्र०से०/बि०वि०प्र०से०/बि०स०से०/ बि०स०लि०से०/बि०स०आ०से०, कार्यालय परिचारी एवं चालक आदि) को प्रशासनिक विंग के अंतर्गत माना गया है। प्रशासनिक विंग के वे सभी पद, जो पूर्व से बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा गठित संवर्गों के अंतर्गत आते हैं, इस नियमावली के अधीन गठित संवर्गीय पद नहीं माने जाएंगे। अपितु, ऐसे पदों के संबंध में, जिन पर प्रोन्नति विभाग स्तर पर की जाती है, निर्णय इस नियमावली के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जो पद नव–गठित सिविल विमानन विभाग में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, वे सभी पद प्रत्यर्पित माने जाएंगे। तथापि, ऐसे पदों पर पूर्व से कार्यरत कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर ये पद स्वतः मरणशील/समाप्त हो जाएंगे।

3.5 यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। संवर्गीय पद, पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु अर्हता, आयु–सीमा एवं अन्य अपेक्षाएँ परिशिष्ट–'क' के अनुरूप होंगी। नियमित नियुक्ति/संविदा नियोजन के लिए आयु–सीमा में छूट बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित प्रावधानों के आलोक में देय होगा।

3.5.1 बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित विमानन क्षेत्र से संबंधित डी0जी0सी0ए0 द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर निजी संस्थानों में संबंधित पद अथवा समकक्ष पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा की गई वास्तविक संविदा सेवा अवधि के समतुल्य उसी पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। किसी पूर्ण वर्ष के अंश को भी उक्त गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

परंतु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तत्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरूद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश लागू होंगे।

3.5.2 विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1ली अगस्त को उम्र के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जायेगा।

3.6 संलग्न परिशिष्ट–'क' में वर्णित पदों की संख्या एवं वेतनस्तर/वेतनमान वहीं होगा, जो समय–समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए।

3.7 संवर्ग के पदों पर नियमित कर्मी की अनुपलब्धता की स्थिति में समय–समय पर यथानिर्धारित प्रावधानों के आलोक में संविदा नियोजन किया जा सकेगा।

3.8 विभाग में सृजित संवर्गीय पदों पर अपरिहार्य स्थिति में बाह्य स्त्रोत से पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवा प्राप्त की जा सकेगी। ऐसे में अल्प अवधि के लिए निविदा/दर सूची/प्राक्कलन आदि प्राप्त कर वाह्य स्त्रोत से विमान चालकों एवं तकनीकी कर्मियों आदि की सेवा ली जा सकेगी, ऐसी सेवा एक बार में 02 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी एवं विशेष परिस्थितियों में इसे अधिकतम अगले 01 वर्ष के लिए कारण अंकित करते हुए विस्तारित किया जा सकेगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति में ली गई सेवा के विरूद्ध भुगतान सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से विभाग कर सकेगा।

3.9 वायुयान संगठन इकाई एवं उड्डयन प्रशिक्षण इकाई (बिहार उड्डयन संस्थान) को उड़ान कार्य संचालित करने हेतु डी०जी०सी०ए० से क्रमशः Air Operator Permit (AOP) एवं Flying Training Organisation (FTO) की मान्यता तथा समरूप अन्य मान्यताएँ प्राप्त करनी होती हैं। ऐसे में डी०जी०सी०ए० के प्रावधानों के अनुरूप समय–समय पर विभिन्न पदों की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में आवश्यक पदों पर विभाग अपने योग्य तकनीकी पदाधिकारियों/कर्मियों को नामित कर सकेगा।

3.10 नवगठित सिविल विमानन विभाग के तकनीकी विंग अंतर्गत वायुयान संगठन इकाई के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य वही होंगे, जो पूर्व में वायुयान संगठन निदेशालय के लिए निर्धारित हैं तथा उड्डयन प्रशिक्षण इकाई (बिहार उड्डयन संस्थान) के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य वही होंगे, जो पूर्व में उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय (बिहार उड्डयन संस्थान) हेतु निर्धारित हैं।

4. **भर्ती की प्रक्रिया ।** –

विभागीय तकनीकी विंग के आवश्यक पदों की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तथा पदों की रिक्ति की स्थिति में उड़ान कार्य के सुचारू संचालन हेतु डी०जी०सी०ए० से प्राप्त मान्यता को अप्रभावित रखने के उद्देश्य से, इस संवर्ग के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन, जो पद की प्रकृति एवं परिशिष्ट–'क' में निर्धारित प्रावधान के अनुसार– (i) इस नियमावली के नियम–4.3 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से अथवा (ii) बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुभव के आधार पर। तत्पश्चात् नियमित नियुक्ति अथवा संविदा नियोजन की स्थिति में ऐसे पदों पर निम्नलिखित चयन प्रक्रिया के अनुरूप चयन की कार्रवाई की जा सकेगी :–

4.1 परिशिष्ट–'क' में जिन पदों के लिए चयन प्रक्रिया साक्षात्कार (Interview) के माध्यम से निर्धारित की गई है, उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया :–

पदों की रिक्ति के आधार पर नियमित नियुक्ति/संविदा नियोजन हेतु विभाग द्वारा विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे, ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय समाचारपत्रों में (हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की योग्यता की जाँच विभाग स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी। आवेदन के विहित प्रारूप का निर्धारण तथा प्राप्त योग्य आवेदनों की जाँच हेतु विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन विभाग अपने स्तर से करेगा।

4.2 साक्षात्कार प्रक्रिया एवं अभ्यर्थियों के मूल्यांकन हेतु मानदण्ड :–

4.2.1 स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जाँच में योग्य आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

4.2.2 साक्षात्कार का माध्यम ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन हो सकता है, जो विभाग द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

4.2.3 चयन समिति के माध्यम से चयन हेतु अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाएगा –

4.2.3.1	पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता, धारित तकनीकी योग्यताओं एवं सामान्य कार्य अनुभव के आधार पर चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के उपरांत अंक प्रदान किए जाएंगे।	–25 अंक
4.2.3.2	चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान संबंधित पद के विषय से संबंधित अभ्यर्थी के ज्ञान, संप्रेषण कौशल, भाषा में प्रवाह, नेतृत्व क्षमता, विभागीय कार्य की समझ, निर्णय क्षमता, समस्या–समाधान कौशल, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, आचरण तथा पद के अनुरूप डी०जी०सी०ए० एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के नियमों के ज्ञान आदि का आकलन करते हुए अंक प्रदान किए जाएंगे।	–50 अंक

4.2.3.3 बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित विमानन क्षेत्र से संबंधित डी0जी0सी0ए0 द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सरकारी/ गैर-निजी संस्थानों में संबंधित पद अथवा समकक्ष पद पर संविदा के आधार पर संतोषजनक कार्यानुभवके लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुण करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त आनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।) –25 अंक

परन्तु उक्त कार्यानुभव का लाभ नियम-3.5.1 के अनुरूप संविदा पर नियोजित होने पर ही अनुमान्य होगा।

कुल भारांक–100

4.2.4 चयन समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा स्वतन्त्र रूप से भारांक 75 में से अंक प्रदान किये जायेंगे।

4.2.5 मेधासूची निर्धारण हेतु प्राप्त अंकों की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी :-
चयन समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा अधिकतम अंक 75 में से दिये गये अंकों का औसत + संविदागत कार्यानुभव के आधार पर अधिकतम अंक 25 में से प्राप्त अंक।

4.2.6 कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक (क्वालिफाईंग मार्क्स) वही रहेंगे, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए।

नोट– साक्षात्कार अथवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

4.2.7 साक्षात्कार के माध्यम से नियमित नियुक्ति/सीधी भर्ती के मामलों में, यदि किसी पद हेतु प्राप्त योग्य आवेदकों की संख्या अत्यधिक हो, तो साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से साक्षात्कार से पूर्व लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जा सकेगा। ऐसी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक कोटि में उपलब्ध रिक्तियों के अधिकतम 05 (पाँच) गुना अभ्यर्थियों को, मेधा क्रम (Merit) के आधार पर, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की विषयवस्तु, पूर्णांक एवं अन्य आवश्यक शर्तें चयन समिति द्वारा अलग से प्रकाशित की जायेगी।

4.2.8 उपनियम 4.2.5 के आधार पर तैयार की गई मेधा-सूची के आधार पर चयन समिति द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी। विभाग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों का सूक्ष्म सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात्, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस सत्यापन (पूर्ववृत्त) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

4.3 संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिस चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, उसकी संरचना निम्नवत् होगी :-

अध्यक्ष– बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पदेन अध्यक्ष।
सदस्य– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सिविल विमानन विभाग।
सदस्य– विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, सिविल विमानन विभाग।

सदस्य– आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सिविल विमानन विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी के रूप में)।

सदस्य– सामान्य प्रशासन विभाग के एक प्रतिनिधि पदाधिकारी।

सदस्य– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी।

सदस्य– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी।

विशेष आमंत्रित सदस्य– पद की अर्हता/योग्यता से संबंधित विषयों के जानकार अधिकतम कोई 02 (दो) पदाधिकारी।

4.4 **संवर्गीय पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिस चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, उसकी संरचना निम्नवत् होगी** : –

अध्यक्ष– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सिविल विमानन विभाग।

सदस्य– विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, सिविल विमानन विभाग।

सदस्य– आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सिविल विमानन विभाग, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी के रूप में)।

सदस्य– सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि पदाधिकारी।

सदस्य– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी।

सदस्य– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का मनोनित पदाधिकारी।

विशेष आमंत्रित सदस्य– पद की अर्हता/योग्यता से संबंधित विषयों के जानकार अधिकत्तम कोई 02 (दो) पदाधिकारी।

4.5 नियम 4.4 के अंतर्गत गठित समिति ही **विभागीय पदोन्नति समिति होगी** तथा प्रोन्नति का पद उपलब्ध होने की स्थिति में पदोन्नति के मामलों एवं ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० पर विचार/अनुशंसा करेगी।

4.6 सिविल विमानन विभाग के तकनीकी विंग के अंतर्गत उड्डयन प्रशिक्षण इकाई एवं वायुयान संगठन इकाई, दोनों ही विमानन क्षेत्र से संबंधित हैं। दोनों इकाइयों के संचालन हेतु डी०जी०सी०ए० से अलग–अलग स्वीकृति (Approval) आवश्यक होती है। अतः डी०जी०सी०ए० के प्रावधानों के अनुरूप तकनीकी पदाधिकारियों/कर्मियों की अंतर–इकाई (Inter-Unit) प्रतिनियुक्ति अथवा अतिरिक्त प्रभार विभाग स्तर से दिया जा सकेगा।

4.7 विभाग के वैसे तकनीकी पद जो अपने संवर्ग सोपान में प्रोन्नति के भी पद हैं, उन पदों पर यदि प्रोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो विभाग के कार्यों की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिपथ रखते हुए पदों को संविदा नियोजन/वाह्य स्त्रोत/प्रतिनियुक्ति अथवा अतिरिक्त प्रभार से नियमानुसार भरा जा सकेगा।

4.8 तकनीकी पदों पर नियुक्ति/नियोजन/प्रोन्नति/बाह्य स्रोत से चयन के उपरांत, जहाँ आवश्यक हो, डी०जी०सी०ए० अथवा अन्य प्राधिकार से स्वीकृति (Approval) प्राप्त किया जाएगा। स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में यदि चयनित अभ्यर्थी संबंधित प्राधिकार द्वारा निर्धारित अर्हताओं/परीक्षाओं/साक्षात्कार में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा। प्रोन्नति के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

4.9 आकस्मिक अथवा आपातकालीन उड़ान परिचालन आवश्यकताओं की स्थिति में विभाग तकनीकी कर्मियों की तैनाती/कार्य आवंटन में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा।

4.10 तकनीकी संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को डी०जी०सी०ए० द्वारा समय–समय पर निर्गत विनियमों के अनुरूप निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ, लाइसेंस, रेटिंग, प्रवीणता, मेडिकल फिटनेस तथा अन्य अपेक्षित योग्यताओं की वैधता अपनी सेवा अवधि के दौरान बनाए रखना अनिवार्य होगा। विभागीय आवश्यकता के अनुसार उन्हें आवधिक (Recurrent) प्रशिक्षण प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

4.11 सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक वह चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

4.12 कोई भी व्यक्ति जिसने किसी जीवित जीवनसाथी वाले व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह अनुबंध किया हो अथवा जिसका जीवित जीवनसाथी हो और जिसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह अनुबंध किया हो, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

4.13 **परिशिष्ठ–'क' के अनुसार जिन संवर्गीय पदों पर आयोग के माध्यम से चयन किया जाना है, उन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया :–**

4.13.1 नियुक्ति प्राधिकार किसी नियुक्ति वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना एवं रोस्टर क्लीयेरेन्स कराकर कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेगा।

4.13.2 अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :–

4.13.2.1	चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित (प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न–पत्र संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता, कार्य की प्रकृति तथा संबंधित पद हेतु विहित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा)।	–75 अंक
4.13.2.2	बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित विमानन क्षेत्र से संबंधित डी0जी0सी0ए0 द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर–निजी संस्थानों में संबंधित पद अथवा समकक्ष पद पर संविदा के आधार पर संतोषजनक कार्यानुभवके लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुण करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त आनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।) परन्तु उक्त कार्यानुभव का लाभ नियम–3.5.1 के अनुरूप संविदा पर नियोजित होने पर ही अनुमान्य होगा।	–25 अंक

कुल भारांक–100

4.13.2.3 आयोग उपर्युक्त उपनियम–4.13.2.1 एवं 4.13.2.2 के आधार पर कोटिवार अधियाचित रिक्तियों के अनुसार मेधासूची तैयार करेगा एवं विभाग को अपनी अनुशंसा भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सूक्ष्मता से जाँच करेगा। तत्पश्चात संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस सत्यापन (पूर्ववृत का) एवं सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

5. परीक्ष्यमान अवधि एवं सम्पुष्टि । –

5.1 सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त संबंधित तकनीकी कर्मियों की परीक्ष्यमान अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी, सेवा असंतोषजनक होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके उपरांत भी सेवा असंतोषजक रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

5.2 परिवीक्षा अवधि में पदाधिकारियों/कर्मियों को ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे जो राज्य सरकार अथवा डी0जी0सी0ए0 द्वारा विहित किये जायें और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो राज्य सरकार अथवा डी0जी0सी0ए0 द्वारा समय–समय पर विहित की जाय एवं पद से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक हो।

5.3 परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषजनक पाए जाने, पद हेतु आवश्यक/निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा पद हेतु आवश्यक लाइसेंस/रेटिंग को वैध रखने पर सेवा संपुष्टि की जा सकेगी।

5.4 नियमावली से आच्छादित पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण, कम्प्यूटर परीक्षा पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। इनकी सेवा संपुष्टि, कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/चारित्री के आधार पर की जा सकेगी।

6. वरीयता एवं प्रोन्नति। –

6.1 इस संवर्ग के नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता का निर्धारण चयन समिति की अनुशंसा में यथा निर्धारित मेधाक्रमानुसार होगा ।

6.2 इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत तथा विभागीय समायोजन के फलस्वरूप इस संवर्ग में सम्मिलित कर्मियों/पदाधिकारियों की वरीयता का निर्धारण उनकी नियुक्ति तिथि तथा उनके द्वारा धारण की गई पदानुरूप अर्हता के आधार पर विनियमित किया जायेगा और इसी वरीयता के आधार पर उन्हें प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा, भले ही वे पूर्व में किसी अन्य संवर्ग से संबंधित रहे हो।

6.3 सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त कर्मियों के मध्य आपसी वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जा सकेगा।

6.4 प्रोन्नति के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रोन्नति दी जा सकेगी।

6.5 प्रोन्नति के लिए परिशिष्ट–'क' में यथा निर्धारित पदीय अर्हता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि एवं अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

7. आरक्षण । –

इस संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे।

8. अनुशासनिक कार्रवाई। –

8.1 इस संवर्ग के कर्मी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी किये जाने वाले प्रावधानों से आच्छादित होंगे।

8.2 उड़ान सुरक्षा से संबंधित दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा।

8.3 सुरक्षा अथवा नियामकीय कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी तकनीकी कर्मी को उड़ान/परिचालन संबंधी दायित्वों से पृथक किया जा सकेगा।

8.4 तकनीकी संवर्ग के कर्मी बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी निजी विमानन संस्था से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबद्ध नहीं होंगे। उल्लंघन की स्थिति में इसे कदाचार माना जाएगा एवं अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा।

9. अवशिष्ट मामले । –

जिन विषयों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है उनके संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों पर लागू प्रावधान इस संवर्ग में भी प्रभावी होंगे।

10. कठिनाइयों का निराकरण । –

इस नियमावली के किसी भी उपबंध के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य सरकार आवश्यकतानुसार सामान्य अथवा विशेष निर्देश जारी कर सकेगी।

11. निर्वचन । –

11.1 जहां सरकार को यह आवश्यक या उचित लगे, वहां वह लिखित रूप में कारण बताते हुए, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

11.2 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकार नियुक्ति आदेश में विशेष नियम और शर्तें लगा सकता है, यदि वह ऐसा करना उचित समझे।

11.3 इस नियमावली के किसी उपबन्ध के निर्वचन के संबंध में यदि कोई आशंका उत्पन्न हो तो वह विषय विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा न्यायनिर्णित होगा तथा सिविल विमानन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

12. निरसन एवं व्यावृत्ति । –

12.1 बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 एवं बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 एवं इससे संबंधित पत्र/परिपत्र/नियम/आदेश/संकल्प आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

12.2 ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/9/26

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— सि०वि०वि०(स्था०)—01—09 / 2026— दिनांक—

प्रतिलिपिः—वित्त (ई—गजट प्रशाखा) विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सिविल विमानन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के सचिव
सिविल विमानन विभाग

ज्ञापांकः— सि०वि०वि०(स्था०)—01—09 / 2026— 1298 दिनांक— 18/09/2026

प्रतिलिपिः—महालेखाकार बिहार पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
सिविल विमानन विभाग

ज्ञापांकः— सि०वि०वि०(स्था०)—01—09 / 2026— 1298 दिनांक— 18/09/2026

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव वित्त विभाग / सचिव, विधि विभाग / अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पटना / महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार / उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन इकाई एवं उत्तरदायी प्रबंधक, बिहार उड्डयन संस्थान, सि0वि0वि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
सिविल विमानन विभाग

ज्ञापांकः— सि०वि०वि०(स्था०)—01—09 / 2026— 1298 दिनांक— 18/09/2026

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, सिविल विमानन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
सिविल विमानन विभाग

परिशिष्ट – 'क'

बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

वायुयान संगठन इकाई।

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
विमान चालक/पायलट उपसंवर्ग।							
1	मुख्य विमान चालक Chief Aircraft Pilot	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. चालू एवं वैध वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस (Current Valid CPL) या एयर लाईन ट्रान्सपोर्ट पायलट लाईसेंस (Current Valid ATPL)। 3. फ्लाईट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाईन्स (Current Valid FRTOL) एवं RTR (A) License। 4. Current Instrument Rating (IR) 5. ELP Level-4 (न्यूनतम)। 6. DGCA द्वारा Class-1 Medical Assessment 7. 4000 घंटे का दुर्घटना रहित उड़ान अनुभव (जिसमें 2500 घंटे का PIC उड़ान, 50 घंटे का PIC उड़ान विभाग में उपलब्ध एयरक्राप्ट टाईप पर, 50 घंटे का रात्री उड़ान अनुभव शामिल हो)। 8. विगत 03 वर्षो का दूर्घटना रहित एवं 01 वर्ष का घटना रहित उड़ान अनुभव का प्रमाण पत्र। 9. Multi Engine पर आवश्यक उड़ान अनुभव। 10. विभाग में उपलब्ध/संचालित Multi Engine विमान पर उड़ान अनुभव को प्राथमिकता। 11. वरीय विमान चालक के रूप में 03 वर्षों का कार्य अनुभव। 12. VIP/VVIP Flying हेतु DGCA द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करना।	प्रोन्नति का पद	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	▪ **वरीय विमान चालक के पद से प्रोन्नति।** ▪ मुख्य विमान चालक के पद हेतु आवश्यक अर्हता एवं उड़ान अनुभव तथा डी०जी०सी०ए० से आवश्यक Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कलावधि।।	01 वर्ष
2	वरीय विमान चालक/ पायलट Senior Aircraft Pilot	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. चालू एवं वैध वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस (Current Valid CPL) या एयर लाईन ट्रान्सपोर्ट पायलट लाईसेंस (Current Valid ATPL)। 3. फ्लाईट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाईसेंस (Current Valid FRTOL) एवं RTR (A) License। 4. Current Instrument Rating (IR)। 5. ELP Level-4 (न्यूनतम)। 6. DGCA द्वारा Valid Class-1 Medical Assessment 7. 3000 घंटे का दुर्घटना रहित उड़ान अनुभव (जिसमें 2500 घंटे का PIC उड़ान, 50 घंटे का PIC उड़ान विभाग में उपलब्ध एयरक्राफ्ट टाईप पर, 50 घंटे का रात्री उड़ान अनुभव शामिल हो)। 8. विगत 03 वर्षो का दूर्घटना रहित एवं 01 वर्ष का घटना रहित उड़ान अनुभव का प्रमाण पत्र। 9. विमान चालक के रूप में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव। 10. Multi Engine पर आवश्यक उड़ान अनुभव। 11. King Air C-90 एवं विभाग में उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर पृष्ठांकन को प्राथमिकता। 12. VIP/VVIP Flying हेतु DGCA द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करना। 13. VIP/VVIP उड़ान संचालन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	▪ **50% प्रतिशत पदों पर विमान चालक के पद से प्रोन्नति।** ▪ वरीय विमान चालक के पद हेतु आवश्यक उड़ान अनुभव तथा डी०जी०सी०ए० से आवश्यक Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कलावधि।	तथैव
3	विमान चालक/ पायलट Aircraft Pilot	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत/ (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. चालू एवं वैध वाणिज्यिक पायलट लाईसेंस (Current Valid CPL) या एयर लाईन ट्रान्सपोर्ट पायलट लाईसेंस (Current Valid ATPL)। 3. फ्लाईट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाईन्स (Current Valid FRTOL) एवं RTR (A) License। 4. Current Instrument Rating CIR 5. ELP Level-4 (न्यूनतम)। 6. DGCA द्वारा Valid Class-1 Medical Assessment 7. 1500 घंटे का दुर्घटना रहित उड़ान अनुभव VIP/VVIP Aircraft endorsement के साथ। 8. मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट पर आवश्यक उड़ान अनुभव। 9. विगत 03 वर्षो का दूर्घटना रहित एवं 01 वर्ष का घटना रहित उड़ान अनुभव का प्रमाण पत्र। 10. King Air C-90 एवं विभाग में उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर पृष्ठांकन को प्राथमिकता। 11. VIP/VVIP Flying हेतु DGCA द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करना। 12. VIP/VVIP उड़ान संचालन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	तथैव
हेलिकॉप्टर चालक/पायलट उपसंवर्ग।							
4	वरीय हेलिकॉप्टर चालक/ पायलट Senior Helicopter Pilot	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. 2500 घंटों का दुर्घटना/घटना रहित हेलिकॉप्टर उड़ान अनुभव (जिसमें 500 घंटे का PIC उड़ान, 75 घंटे का PIC उड़ान विभाग में उपलब्ध एयरक्राप्ट टाईप पर, 10 घंटे का रात्री उड़ान अनुभव एवं 30 घंटे का PIC उड़ान अंतिम 06 माह में, शामिल हो)। 3. चालू एवं वैध वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर लाईसेंस। 4. नाइट रेटेड। 5. इन्स्ट्रुमेंट रेटिंग। 6. टरवाइन हेलिकॉप्टर पर टाईप इन्डोर्समेंट। 7. हेलिकॉप्टर चालक/पायलट के रूप में न्यूनतम 03 वर्षो का कार्यानुभव। 8. विभाग में उपलब्ध हेलिकॉप्टर पर पृष्ठांकन को प्राथमिकता। 9. VIP/VVIP उड़ान संचालन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।	प्रोन्नति का पद।	तथैव	▪ **हेलिकॉप्टर चालक के पद से प्रोन्नति।** ▪ वरीय हेलिकॉप्टर चालक के पद हेतु आवश्यक उड़ान अनुभव तथा डी०जी०सी०ए० से आवश्यक Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कलावधि।	तथैव
5	हेलिकॉप्टर पायलट Helicopter Pilot	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत/ (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. 2000 घंटों का दुर्घटना/घटना रहित हेलिकॉप्टर उड़ान अनुभव (जिसमें 500 घंटे का PIC उड़ान, 75 घंटे का PIC उड़ान विभाग में उपलब्ध एयरक्राप्ट टाईप पर, 10 घंटे का रात्री उड़ान अनुभव एवं 30 घंटे का PIC उड़ान अंतिम 06 माह में, शामिल हो)। 3. चालू एवं वैध वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर लाईसेंस। 4. नाइट रेटेड। 5. इन्स्ट्रुमेंट रेटिंग। 6. टरवाइन हेलिकॉप्टर पर टाईप इन्डोर्समेंट। 7. विभाग में उपलब्ध हेलिकॉप्टर पर पृष्ठांकन को प्राथमिकता। 8. VIP/VVIP उड़ान संचालन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	सीधी भर्ती का पद	तथैव

परिशिष्ट – 'क'

बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

वायुयान संगठन इकाई।							
क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
इंजीनियर उपसंवर्ग।							
6	**मेन्टेनैंस मैनेजर (अनुरक्षण प्रबंधक)** Maintenance Manager	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. डी०जी०सी०ए० द्वारा निर्गत चालू एवं वैध CAR-66 AME Licence धारित होना। 3. विभाग में अनुरक्षित विमान/हेलीकॉप्टर में से कम से कम एक Aircraft Type पर विधिवत Type Rating/Type Training धारित होना। 4. DGCA अनुमोदित किसी CAR-145/CAR-M Sub Part F अनुरक्षण संगठन में विमान अनुरक्षण कार्य का न्यूनतम 10 (दस) वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 05 (पाँच) वर्ष का अनुभव Certifying Staff (B1 / B2 Category) के रूप में होना आवश्यक। 5. Aircraft Maintenance Planning एवं Maintenance Control से संबंधित कार्यों का अनुभव। 6. DGCA CAR-145/CAR-M Sub Part F के प्रावधानों के अनुरूप Maintenance Manager के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सक्षमता। 7. Aircraft Maintenance Management /Quality Assurance /Safety Management System (SMS) से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। 8. Maintenance Planning, Reliability Monitoring, Technical Records Management में कार्य करने का अनुभव। 9. DGCA CAR-145/CAR-M Sub Part F के आलोक में Organisation में Supervisory/ Managerial पद पर कार्य करने का अनुभव।	प्रोन्नति का पद।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	▪ AME के पद से प्रोन्नति। ▪ MM के पद हेतु आवश्यक योग्यता तथा डी०जी०सी०ए० से आवश्यक Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कलावधि।	01 वर्ष
7	**विमान अनुरक्षण अभियंता** (AME) **(सर्टिफाईंग/ सपोर्ट स्टाफ) वायुयान** Aircraft Maintenance Engineer (Certifying/ Support Staff) Aeroplane	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. डी०जी०सी०ए० द्वारा निर्गत चालू एवं वैध CAR–66 AME Licence की श्रेणी B1.1 (Turbine Aeroplane), B1.2 तथा B3 (Piston Aeroplane) में से कोई एक धारित करना। (नोट– उक्त लाईसेंस में प्राथमिकता विभाग में तत्समय उपलब्ध विमान की आवश्यकता के आधार पर किया जा सकेगा) 3. विभाग में उपलब्ध विमान प्रकार पर विधिवत Type Rating / Endorsement की योग्यता धारित करना। 4. B1 श्रेणी अथवा B3 श्रेणी के AME Licence के साथ न्यूनतम 05 (पाँच) वर्ष का अनुरक्षण कार्य का पश्चात् अनुभव (Post Licence Experience)। 5. DGCA के प्रचलित मानकों के अनुरूप Certifying Staff के रूप में कार्य करने हेतु सक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र। 6. विभाग में उपलब्ध विमान प्रकार पर Line Maintenance अथवा Base Maintenance का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता। 7. विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	▪ **50% प्रतिशत पदों पर मैकेनिक वायुयान के पद से प्रोन्नति।** ▪ AME वायुयान के पद हेतु आवश्यक अर्हता तथा DGCA का Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कलावधि।	तथैव
8	**विमान अनुरक्षण अभियंता** (AME) **(सर्टिफाईंग/ सपोर्ट स्टाफ) हेलिकॉप्टर** Aircraft Maintenance Engineer (Certifying/Support Staff) Helicopter	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. डी०जी०सी०ए० द्वारा निर्गत चालू एवं वैध CAR–66 AME Licence की श्रेणी B1.3 (Turbine Helicopter) धारित करना। 3. विभाग में उपलब्ध हेलीकॉप्टर प्रकार पर विधिवत Type Rating / Endorsement धारित करना। 4. B1.3 श्रेणी के AME Licence के साथ न्यूनतम 05 (पाँच) वर्ष का अनुरक्षण कार्य का पश्चात् अनुभव (Post Licence Experience) । 5. अभ्यर्थी को DGCA के प्रचलित मानकों के अनुरूप Certifying Staff के रूप में कार्य करने हेतु सक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र। 6. विभाग में उपलब्ध हेलीकॉप्टर प्रकार पर Line Maintenance अथवा Base Maintenance का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता। 7. हेलीकॉप्टर अनुरक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	तथैव	तथैव	▪ **50% प्रतिशत पदों पर मैकेनिक हेलिकॉप्टर के पद से प्रोन्नति।** ▪ AME हेलिकॉप्टर के पद हेतु आवश्यक अर्हता तथा DGCA का Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कलावधि।	तथैव

परिशिष्ट – 'क'

बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

वायुयान संगठन इकाई।

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	इंजीनियर उपसंवर्ग।						
9	विमान अनुरक्षण अभियंता (AME) (सर्टिफाईंग/सपोर्ट स्टाफ) रेडियो Aircraft Maintenance Engineer (Certifying/Support Staff) Radio	नियमित/संविदा/प्रोन्नति/वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. डी०जी०सी०ए० द्वारा निर्गत चालू एवं वैध CAR–66 AME Licence की श्रेणी B2 (Avionics) धारित करना। 3. विभाग में उपलब्ध विमान/हेलीकॉप्टर के Avionics System विधिवत Type Training / Endorsement धारित करना। 4. B2 श्रेणी के AME Licence के साथ न्यूनतम 05 (पाँच) वर्ष का अनुरक्षण कार्य का पश्चात् अनुभव (Post Licence Experience) । 5. अभ्यर्थी को DGCA के प्रचलित मानकों के अनुरूप Certifying Staff के रूप में कार्य करने हेतु सक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र। 6. DGCA द्वारा अनुमोदित CAR–145/CAR-M Sub Part F अनुरक्षण संगठन में कार्य करने का अनुभव। 7. Aircraft / Helicopter Electrical, Instrument तथा Radio Navigation System के अनुरक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता। 8. Avionics अनुरक्षण कार्य में पूर्व अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	▪ 50% प्रतिशत पदों पर मैकेनिक रेडियो के पद से प्रोन्नति। ▪ AME रेडियो के पद हेतु आवश्यक अर्हता तथा DGCA का Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कलावधि पूर्ण करना।	01 वर्ष
10	मैकेनिक/तकनीशियन वायुयान Mechanic/ Technician Aeroplane	नियमित/संविदा/वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. भौतिक, रासायन एवं गणित विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण अथवा सहायक मैकेनिक/टेक्नीकल ऑफिसर के रूप में कम से कम 05 वर्षों का कार्य अनुभव। 3. डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित ए०एम0ई0 इन्सटीच्यूट से मैकेनिकल स्ट्रीम (B1.1 (Turbine Aeroplane)/B1.2(Piston Aeroplane)/B3 (Piston Aeroplane) में उत्तीर्णता। **अथवा** एरोनॉटिक्स/ऐरोस्पेस/मैकेनिकल स्ट्रीम से डिप्लोमा/स्नातक (बी०टेक०/बी०ई०) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। 4. डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित संगठन/विमानन संस्थान में लाइट एवं मीडियम वेट कैटेगोरी एयरक्राफ्ट पर मेनटेनेन्स एवं ओवरहॉल के कार्य में न्यूनतम 02 वर्षों का कार्यानुभव। 5. विभाग में उपलब्ध विमान के मेन्टेनेन्स का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद	तथैव
11	मैकेनिक/तकनीशियन हेलिकॉप्टर Mechanic/ Technician Helicopter	नियमित/संविदा/वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. भौतिक, रासायन एवं गणित विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण अथवा सहायक मैकेनिक/टेक्नीकल ऑफिसर के रूप में कम से कम 05 वर्षों का कार्य अनुभव। 3. डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित ए०एम0ई0 इन्सटीच्यूट से मैकेनिकल स्ट्रीम (B1.3 (Turbine Helicopter)/ B1.4(Piston Helicopter) में उत्तीर्णता। **अथवा** एरोनॉटिक्स/ऐरोस्पेस/मैकेनिकल स्ट्रीम से डिप्लोमा/स्नातक (बी०टेक०/बी०ई०) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। 4. डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित संगठन/विमानन संस्थान में हेलिकॉप्टर पर मेनटेनेन्स एवं ओवरहॉल कार्य में न्यूनतम 02 वर्षो का कार्यानुभव। 5. विभाग में उपलब्ध हेलिकॉप्टर के मेन्टेनेन्स का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद	तथैव
12	मैकेनिक/तकनीशियन रेडियो Mechanic/ Technician Radio	नियमित/संविदा/वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. भौतिक, रासायन एवं गणित विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण अथवा सहायक मैकेनिक/टेक्नीकल ऑफिसर के रूप में कम से कम 05 वर्षों का कार्य अनुभव। 3. डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित ए०एम0ई0 इन्सटीच्यूट से एवियोनिक्स स्ट्रीम (केटेगरी B2) में उत्तीर्णता। अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल/टेलीकम्युनिकेशन/एवियोनिक्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम से डिप्लोमा/स्नातक (बी०टेक०/बी०ई०) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। 4. डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित संगठन/विमानन संस्थान में एयरक्राफ्ट रेडियो, नेविगेशन, कम्युनिकेशन एवं इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के मेनटेनेन्स/ट्रबलशूटिंग कार्य में न्यूनतम 02 (दो) वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। 5. विभाग में उपलब्ध विमान के रेडियो मेन्टेनेन्स का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद	तथैव

परिशिष्ट – 'क'

बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
			वायुयान संगठन इकाई।				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			तकनीकी सहायक उपसंवर्ग।				
13	*टेक्नीकल ऑफिसर Technical Officer	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तथा डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित/मान्यता प्राप्त संगठन/विमानन संस्थान में क्लीनर/हेल्पर के रूप में न्यूनतम 05 वर्षों का कार्यानुभव।	▪ बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	▪ 40 प्रतिशत पदों पर क्लीनर सह हेल्पर के पद से प्रोन्नति। ▪ टेक्नीकल ऑफिसर के पद हेतु आवश्यक अर्हता । ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कलावधि पूर्ण करना।	01 वर्ष
14	क्लीनर सह हेल्पर Cleaner cum Helper	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. मैट्रीक उत्तीर्ण एवं डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित/मान्यता प्राप्त विमानन संगठन/संस्थान में क्लीनर अथवा हेल्पर के रूप में कम से कम 02 वर्षो का कार्यानुभव।	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	तथैव
			*सहायक मैकेनिक सह टेक्नीकल ऑफिसर' पद का नाम परिवर्तित कर 'टेक्नीकल ऑफिसर' किया गया है। साथ ही, 'क्लीनर सह हेल्पर' एवं 'टेक्नीकल ऑफिसर' के पदों को सम्मिलित करते हुए नवीन 'तकनीकी सहायक उपसंवर्ग' का गठन किया गया है। फलस्वरूप, विभागीय संवर्गीय संरचना तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।				
			भंडारपाल उपसंवर्ग।				
15	मुख्य भंडारपाल Chief Store Keeper	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. फिजिक्स/केमिस्ट्री/मैथेमेटिक्स/कॉमर्स से स्नातक तथा सहायक भंडारपाल अथवा समतुल्य पद पर कम से कम 03 वर्षो का कार्य अनुभव।	प्रोन्नति का पद।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	▪ **सहायक मण्डारपाल के पद से प्रोन्नति ।** ▪ सहायक भंडारपाल के रूप में कम–से–कम पाँच वर्षो का कार्य अनुभव तथा ▪ साामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पूर्ण करना।	तथैव
16	सहायक भंडारपाल Assistant Store Keeper	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. फिजिक्स/केमिस्ट्री/मैथेमेटिक्स/कॉमर्स से स्नातक तथा विमानन क्षेत्र में संबंधित डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित/मान्यता प्राप्त विमानन संगठन/संस्थान में भंडारण का 02 वर्षो का कार्य अनुभव।	▪ बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	तथैव
			अपने–अपने उपसंवर्ग के पृथक/एकल पद।				
17	क्वालिटी मैनेजर Quality Manager	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित अर्हताएँ। 2. निम्नलिखित में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता: (क) Aeronautical, Mechanical, Electrical, Electronics or Avionics Engineering में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से Bachelor's Degree या (ख) DGCA द्वारा मान्य Aircraft Maintenance Engineer (AME) licence अथवा उसके समकक्ष योग्यता। 3. Aircraft Maintenance अथवा Aeronautical Industry में न्यूनतम 05 (पाँच) वर्ष का कार्यानुभव, जिसमें Quality Management System, Quality Assurance/Quality Audit अथवा Aircraft Maintenance/Continuing Airworthiness activities से संबंधित कार्यानुभव शामिल हो। 4. Aviation safety, operational procedures तथा regulatory compliance से संबंधित कार्यों में व्यावहारिक अनुभव। 5. निम्नलिखित विषयों से संबंधित कार्यानुभव अथवा DGCA/संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा मान्य प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र :– i). परिचालन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान; ii). ऑपरेटर के संचालन विनिर्देश, जहाँ लागू हो; iii). Operations Manual के प्रासंगिक भाग। 6. DGCA regulations तथा संबंधित Continuing Airworthiness और Aircraft Maintenance requirements के अनुपालन में कार्यानुभव। 7. DGCA अनुमोदित संस्थान से Quality Manager अथवा Quality Auditor के रूप में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 8. Aviation Quality System, Safety Management System (SMS) अथवा Regulatory Compliance से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	तथैव

परिशिष्ट – 'क'

बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

वायुयान संगठन इकाई।

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			अपने–अपने उपसंवर्ग के पृथक/एकल पद।				
18	निरंतर उड़न योग्यता प्रबंधक Continuing Airworthiness Manager	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित अर्हताएँ। 2. विमानन क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्ष का कार्यानुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष विमानों एवं उनके कल–पुर्जों के रख–रखाव/निरंतर उड़ान–योग्यता (Continuing Airworthiness) से संबंधित प्रक्रियाओं तथा संगठन के Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME) अथवा समकक्ष रख–रखाव प्रबंधन कार्यों से संबंधित अनुभव हो। 3. निम्न में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता – (क) एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा एवियोनिक्स विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग डिग्री, जो डी०जी०सी०ए० द्वारा स्वीकार्य हो। या (ख) डी०जी०सी०ए० द्वारा स्वीकार्य Aircraft Maintenance Engineer (AME) एवं विमान रख–रखाव तकनीशियन की समकक्ष योग्यता। 4. डी०जी०सी०ए० के लागू विनियमों (विशेषकर CAR-M/ CAMO) के लिए प्रमाणीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र। 5. विमान रख–रखाव विधियों तथा एयरवर्थीनेस प्रबंधन प्रक्रियाओं मे प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। 6. पूर्व में निरंतर उड़न–योग्यता प्रबंधक (CAM) अथवा समान पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष
19	चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर Chief Security Officer	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत प्रतिनियुक्ति (स्थाई पद)	1. Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) एवं DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित अर्हताएँ। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक या समकक्ष योग्यता। 3. विमानन/एयरपोर्ट सुरक्षा प्रबंधन में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव। 4. एविएशन सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षा जांच प्रणाली एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। 5. BCAS एव DGCA द्वारा पद हेतु आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा तथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। 6. विमानन क्षेत्र में पूर्व से चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर के रूप में कार्यअनुभव को प्राथमिकता। **प्रतिनियुक्ति हेतु –** 7. गृह विभाग से "Inspector of Police अथवा Deputy Superintendent of Police स्तर के पदाधिकारी, जिन्हें उक्त अर्हता क्रमांक–5 में वर्णित अर्हताएं/प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
20	चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी Chief of Flight Safety	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. निम्न में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता :– एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग स्नातक। अथवा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (CPL) अथवा एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) अथवा समकक्ष उड़ान योग्यता। 3. विमानन क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष का प्रासंगिक कार्यानुभव, जिसमें उड़ान संचालन, विमान दुर्घटना/घटना जांच, सुरक्षा ऑडिट अथवा दुर्घटना निवारण कार्य से संबंधित अनुभव हो। 4. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (SMS) के कार्यान्वयन, सुरक्षा ऑडिट, जोखिम मूल्यांकन, घटना/दुर्घटना रिपोर्टिंग एवं विश्लेषण तथा सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

परिशिष्ट – 'क'

बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

वायुयान संगठन इकाई।

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
अपने–अपने उपसंवर्ग के पृथक/एकल पद।							
21	सुरक्षा प्रबंधक Safety Manager	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. निम्न में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता – एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग स्नातक। अथवा विमानन क्षेत्र से संबंधित समकक्ष तकनीकी योग्यता। 3. विमानन क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का प्रासंगिक कार्यानुभव, जिसमें सुरक्षा प्रबंधन, उड़ान संचालन, विमान रख–रखाव, सुरक्षा निरीक्षण अथवा संबंधित तकनीकी कार्यों का अनुभव हो। 4. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (Safety Management System – SMS), जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन तथा सुरक्षा निगरानी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। 5. फ्लाइट सेफ्टी अथवा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता ।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष
22	पेन्टर Painter	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	▪ 10+2 उत्तीर्ण। ▪ डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित/मान्यता प्राप्त विमानन संगठन/संस्थान में एयरक्राफ्ट पेंटिंग (Aircraft Painting) एवं एयरक्राफ्ट लेटरिंग (Aircraft Lettering) में कम से कम 02 वर्षों का कार्य अनुभव।	▪ बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	तथैव	तथैव
23	फ्लाईट डिस्पैचर Flight Dispatcher	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत/ (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. **Educational Qualification:** 10+2 (विज्ञान के साथ) उत्तीर्ण। ▪ **Experience:** डी0जी0सी0ए0 अनुमोदित/मान्यता प्राप्त विमानन संगठन/संस्थान से आवेदक को निम्नलिखित अनुभव प्राप्त हो– (क). वायु परिवहन में एक उड़ान दल के सदस्य। या (ख). वायु परिवहन में विमानों को ऑपरेशनल नियंत्रण प्रदान करने वाली संगठन में एक मौसमविज्ञानी। या (ग). एक एयर ट्रैफिक नियंत्रक या उड़ान ऑपरेशन सिस्टम/एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के तकनीकी पर्यवेक्षक या (घ). एक मान्यता प्राप्त सी0पी0एल0/ए0टी0पी0एल0 वाला पायलट। या (ड). उस पायलट के लिए तकनीकी विशेष परीक्षण (सम्मेलन सहित) में सफलतापूर्वक पास किया हो, जिसने DGCA (CEO) / DGCA अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन/ATRP (मान्यता प्राप्त टाइप रेटिंग प्रोग्राम वाले हवाई वायुसेवा) द्वारा चाहे विमान प्रकार पर उड़ान डिस्पैचर की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया हो। या (च). संबंधित पद हेतु मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। या (छ). एयर ट्रांसपोर्ट के डिस्पैचिंग में सहायक के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, जिसमें आवेदन के तत्काल पूर्व से छह महीने के भीतर कम से कम 90 कामकाजी दिनों की अधीनता में एक फ्लाइट डिस्पैचर की निगरानी के तहत सेवा की गई हो।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
24	कन्सलटेन्ट Consultant	संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	▪ वायुयान संगठन के संचालन, प्रशिक्षण तथा सिविल विमानन से संबंधित DGCA द्वारा निर्धारित नियमों की समुचित विशेषज्ञता। ▪ Consultant के पद पर कार्य करने हेतु सेवानिवृत पदाधिकारी को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विमानन क्षेत्र में पॉयलट/प्रशिक्षक/मेन्टेनेन्स मैनेजर, एकाउन्टेबल मैनेजर अथवा वैसे सेवानिवृत पदाधिकारी जिनके पास विमानन क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों के कार्य अनुभव हो अथवा विमानन क्षेत्र के वेतन स्तर–11/12 से अन्यून सेवानिवृत तकनीकी पदाधिकारी का नियोजन किया जा सकता है।	संविदा आधारित पद।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन हेतु आयु सीमा न्यूनतम–60 वर्ष एवं अधिकतम–70 वर्ष।	–	–
25	सिविल इंजिनियर Civil Engineer	संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सेवानिवृत्त अपर मुख्य अभियंता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी अथवा विमानन क्षेत्र के वेतन स्तर–11/12 से अन्यून सेवानिवृत अभियंता ।	तथैव	तथैव	–	–

परिशिष्ट – 'क'

बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

उड्डयन प्रशिक्षण इकाई।							
क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
उड्डयन प्रशिक्षक/फ्लाईट इन्सट्रक्टर उपसंवर्ग।							
26	मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक Chief Flight Instructor (CFI)	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की रेटिंग (Flight Instructor Rating) 3. CPL (Commercial Pilot Licence) या ATPL (Airline Transport Pilot Licence) 4. इंस्ट्रुमेंट रेटिंग (Instrument Rating) 5. FRTOL (Flight Radio Telephony Operator Licence) तथा Radio Telephony Restricted (Aironautical) RTR (A) License 6. DGCA द्वारा मान्य वैध क्लास–I मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। 7. Dy CFI के रूप में कम से कम 06 माह का अनुभव एव पद धारण हेतुं DGCA से Approval 8. Designated Examiner को प्राथमिकता। 9. विगत 03 वर्षो का दूर्घटना रहित एवं 01 वर्ष का घटना रहित उड़ान अनुभव का प्रमाण पत्र। 10. ELP स्तर–04 (न्यूनतम) उड़ान अनुभव न्यूनतम (कम से कम) :– ▪ कुल उड़ान– 2200 घंटा ▪ कुल PIC उड़ान–1800 घंटा ▪ कुल इन्स्ट्रक्ट्रल उड़ान–1200 घंटा ▪ कुल रात्री उड़ान–50 घंटा ▪ कुल इन्स्ट्रक्ट्रल रात्री उड़ान–25 घंटा ▪ सोलो रिलीज्ड–10	प्रोन्नति का पद।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	▪ **Dy. CFI के पद से प्रोन्नति।** ▪ मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक के पद हेतु आवश्यक उड़ान अनुभव तथा डी०जी०सी०ए० से आवश्यक Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पूर्ण करना।	01 वर्ष
27	उप मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक Deputy Chief Flight Instructor (Dy.CFI)	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की रेटिंग (Flight Instructor Rating) 3. वैध CPL (Commercial Pilot Licence) या ATPL (Airline Transport Pilot Licence) 4. इंस्ट्रुमेंट रेटिंग (Instrument Rating) 5. FRTOL (Flight Radio Telephony Operator Licence) तथा Radio Telephony Restricted (Aironautical) RTR (A) License 6. DGCA द्वारा मान्य वैध क्लास–I मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। 7. Designated Examiner को प्राथमिकता। 8. विगत 03 वर्षो का दूर्घटना रहित एवं 01 वर्ष का घटना रहित उड़ान अनुभव का प्रमाण पत्र। 9. ELP स्तर–04 (न्यूनतम) उड़ान अनुभव न्यूनतम (कम से कम) :– ▪ कुल उड़ान– 1200 घंटा ▪ कुल PIC उड़ान–1000 घंटा ▪ कुल इन्स्ट्रक्ट्रल उड़ान–600 घंटा। ▪ कुल रात्री उड़ान–30 घंटा ▪ कुल इन्स्ट्रक्ट्रल रात्री उड़ान–10 घंटा ▪ सोलो रिलीज्ड–05 ▪ उप–मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक के रूप में DGCA से Approval. उड्डयन प्रशिक्षक के रूप में कम से कम 02 वर्षो का अनुभव।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	▪ **50% पदों पर FI के पद से प्रोन्नति।** ▪ Dy. CFI के पद हेतु आवश्यक योग्यता एवं उड़ान अनुभव तथा डी०जी०सी०ए० से आवश्यक Approval ▪ तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पूर्ण करना।	तथैव
28	उड्डयन प्रशिक्षक Flight Instructor/Pilot Instructor (FI/PI)	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. वैध फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग 3. वैध CPL (Commercial Pilot Licence) या ATPL (Airline Transport Pilot Licence) 4. इंस्ट्रुमेंट रेटिंग (IR) 5. फ्लाइट रेडियो टेलिफोनी ऑपरेटर लाइसेंस (FRTOL) तथा Radio Telephony Restricted (Aironautical) RTR (A) License 6. DGCA द्वारा मान्य वैध क्लास–I मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। 7. ELP स्तर–04 (न्यूनतम) 8. FI (Flight Instructor) को FTO के CI (Chief Instructor) या CFI (Chief Flying Instructor) या Dy. CFI द्वारा Approve किया गया हो। 9. विगत 03 वर्षो का दूर्घटना रहित एवं 01 वर्ष का घटना रहित उड़ान अनुभव का प्रमाण पत्र। उड़ान अनुभव न्यूनतम (कम से कम) :– ▪ कुल उड़ान – 700 घंटे, ▪ कुल PIC उड़ान–500 घंटा ▪ कुल इन्स्ट्रक्शनल उड़ान –200 घंटे ▪ कुल PIC नाईट उड़ान –20 घंटे	तथैव	तथैव	▪ **एक तिहाई पदों पर AFI/API के पद से प्रोन्नति।** ▪ FI/PI के पद हेतु आवश्यक योग्यता एवं उड़ान अनुभव तथा डी०जी०सी०ए० से आवश्यक Approval ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पूर्ण करना।	तथैव
29	सहायक उड्डयन प्रशिक्षक Assistant Flight Instructor/ Assistant Pilot Instructor (AFI/API)	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. AFIR (Assistant Flight Instructor Rating) Holder को FTO के CI (Chief Instructor) या CFI (Chief Flying Instructor) या Dy. CFI द्वारा Approve किया गया हो। 3. वैध सीपीएल (CPL)/ATPL, इंस्ट्रुमेंट रेटिंग (IR), सहायक फ्लाइट इन्स्ट्रक्टरल रेटिंग (AFIR (A)), फ्लाइट रेडियो टेलिफोनी ऑपरेटर लाइसेंस (FRTOL) तथा Radio Telephony Restricted (Aironautical) RTR (A) License 4. DGCA द्वारा मान्य वैध क्लास–I मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। DGCA अनुमोदित प्रशिक्षक /अनुदेशक से विगत 01 वर्षो का दूर्घटना रहित प्रमाण पत्र। 5. विगत 03 वर्षो का दूर्घटना रहित एवं 01 वर्ष का घटना रहित उड़ान अनुभव का प्रमाण पत्र। 6. ELP स्तर–04 (न्यूनतम) 7. 400 घंटे का दुर्घटना रहित उड़ान अनुभव (जिसमें PIC उड़ान–100 घंटे एवं कुल रात्री उड़ान–10 घंटा शामिल हो) 8. PIC रात्री उड़ान अनुभव न्यूनतम–10 घंटा को प्राथमिकता। 9. इन्स्ट्रक्शनल उड़ान अनुभव को प्राथमिकता।	तथैव।	तथैव।	सीधी भर्ती का पद।	तथैव

परिशिष्ट – 'क'
बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

उड्डयन प्रशिक्षण इकाई।

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ग्राउण्ड प्रशिक्षक/ग्राउण्ड इन्सट्रक्टर उपसंवर्ग।							
30	चीफ ग्राउण्ड इन्सट्रक्टर Chief Ground Instructor (CGI)	नियमित/ संविदा/ प्रोन्नति/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता धारित करना आवश्यक होगा– (क) वैध Commercial Pilot Licence (CPL) अथवा Airline Transport Pilot Licence (ATPL) का धारक। अथवा (ख) रक्षा सेवाओं से विषय विशेषज्ञ (Subject Matter Expert)। अथवा (ग) India Meteorological Department से समकक्ष या उससे उच्च स्तर के सहायक मौसम विज्ञानी (Assistant Meteorologist) के रूप में पात्रता धारित मौसम विज्ञानी। अथवा (घ) कम से कम 05 वर्षों के अनुभव वाला एयर ट्रैफिक नियंत्रक (ATC)। अथवा (ङ) रक्षा सेवाओं/सीमा सुरक्षा बल से पायलट या नेविगेटर। 3. उपर्युक्त में से किसी अर्हता के साथ किसी उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान/रक्षा उड्डयन संस्थान/पायलट प्रशिक्षण संस्थान में ग्राउण्ड इन्सट्रक्टर के रूप में न्यूनतम 02 वर्षों का कार्य अनुभव।	प्रोन्नति का पद।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	▪ ग्राउण्ड इन्स्ट्रक्टर के पद से ▪ ग्राउण्ड इन्स्ट्रक्टर के रूप में न्यूनतम 02 वर्षो का कार्यानुभव एवं DGCA से Chief Ground Instructor के रूप में Approval तथा ▪ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कलावधि पूर्ण करना।	01 वर्ष
31	ग्राउण्ड इन्सट्रक्टर Ground Instructor (GI)	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता धारित करना आवश्यक होगा– (क) वैध Commercial Pilot Licence (CPL) अथवा Airline Transport Pilot Licence (ATPL) का धारक। अथवा (ख) रक्षा सेवाओं से विषय विशेषज्ञ (Subject Matter Expert)। अथवा (ग) India Meteorological Department से समकक्ष या उससे उच्च स्तर के सहायक मौसम विज्ञानी (Assistant Meteorologist) के रूप में पात्रता धारित मौसम विज्ञानी। अथवा (घ) कम से कम 05 वर्षों के अनुभव वाला एयर ट्रैफिक नियंत्रक (ATC)। अथवा (ङ) रक्षा सेवाओं/सीमा सुरक्षा बल से पायलट या नेविगेटर। 3. डी0जी0सी0ए0 द्वारा मान्य किसी उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान/रक्षा उड्डयन संस्थान/पायलट प्रशिक्षण संस्थान में ग्राउण्ड इन्सट्रक्टर के रूप में कार्य अनुभव को प्राथमिकता।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	तथैव
अपने–अपने उपसंवर्ग के पृथक/एकल पद।							
32	क्वालिटी मैनेजर Quality Manager (QM)	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत/ प्रतिनियुक्ति (स्थाई पद)	वायुयान संगठन इकाई में क्वालिटी मैनेजर पद के लिए निर्धारित अर्हता।	तथैव	तथैव	सीधी भर्ती का पद।	तथैव
33	निरंतर उड़न योग्यता प्रबंधक Continuing Airworthiness Manager (CAM)	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत/ प्रतिनियुक्ति (स्थाई पद)	वायुयान संगठन इकाई में निरंतर उड़न योग्यता प्रबंधक पद के लिए निर्धारित अर्हता।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
34	सिन्थेटिक फ्लाईट इन्सट्रक्टर Synthetic Flight Instructor	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (CPL) अथवा एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) तथा इंस्ट्रूमेंट रेटिंग (IR) धारक। 3. अनुमोदित फ्लाइट सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण (FSTD), जैसे सिम्युलेटर/उड़ान एवं नौवहन प्रक्रिया प्रशिक्षक FNPT पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डी०जी०सी०ए०/सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिंथेटिक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में विधिवत् अनुमोदित। 4. फ्लाइट सिम्युलेटर/सिंथेटिक फ्लाइट ट्रेनिंग डिवाइस के संचालन एवं प्रशिक्षण का अनुभव।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव

परिशिष्ट – 'क'

बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026

उड्डयन प्रशिक्षण इकाई।

क्र० सं०	पद का नाम	पद की प्रकृति	अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता/योग्यता	नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु आयु–सीमा।	संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं संविदा नियोजन हेतु आयु– सीमा।	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता/योग्यता।	परीक्ष्यमान् अवधि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
अपने–अपने उपसंवर्ग के पृथक/एकल पद।							
35	चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर Chief Security Officer	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत/ प्रतिनियुक्ति (स्थाई पद)	वायुयान संगठन इकाई में चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर पद के लिए निर्धारित अर्हता।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती/ नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	▪ खुले विज्ञापन प्रकाशित कर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से। ▪ संविदा नियोजन की स्थिति में आयु सीमा 21–65 वर्ष ।	सीधी भर्ती का पद।	01 वर्ष
36	चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी Chief of Flight Safety	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत/ प्रतिनियुक्ति (स्थाई पद)	वायुयान संगठन इकाई में चीफ ऑफ फ्लाईट सेफ्टी पद के लिए निर्धारित अर्हता।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
37	सुरक्षा प्रबंधक Safety Manager	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत/ प्रतिनियुक्ति (स्थाई पद)	वायुयान संगठन इकाई में सुरक्षा प्रबंधक पद के लिए निर्धारित अर्हता।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
38	मैनेजर ए०टी०सी० Manager ATC	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी एवं गणित के साथ विज्ञान में स्नातक (B.Sc.) अथवा समकक्ष शैक्षिक योग्यता (इंजीनियरिंग डिग्री) अथवा वैध CPL लाइसेंस धारक। 3. वैध Air Traffic Controller (ATC) प्रमाणपत्र धारित हो। 4. संबंधित Air Traffic Service Unit के लिए कम से कम एक वैध ATC रेटिंग प्राप्त हो। 5. हवाई यातायात नियंत्रण (Air Traffic Control) में पर्यवेक्षण के अधीन वास्तविक नियंत्रण का न्यूनतम 02 वर्षो का कार्य अनुभव।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
39	लाईब्रेरियन Librarian	नियमित/ प्रतिनियुक्ति/ संविदा (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (Library and Information Science) में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री। 3. डी०जी०सी०ए० अनुमोदित/मान्यता प्राप्त विमानन संगठन/संस्थान में लाईब्रेरियन के रूप में न्यूनतम 02 वर्षों का कार्यनुभव।	▪ बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। ▪ नियमित सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा 21–45 वर्ष ।	तथैव	तथैव	तथैव
40	उड्डयन लिपिक Flight Clerk	नियमित/ संविदा/ वाह्य स्त्रोत अथवा सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मी प्रतिनियुक्ति/ पदस्थापन। (स्थाई पद)	1. DGCA द्वारा इस पद हेतु समय–समय पर अधिसूचित आवश्यक अर्हता। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में न्यूनतम 06 माह का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (Certificate in Computer Application) अथवा समकक्ष योग्यता। 4. डी०जी०सी०ए० अनुमोदित/मान्यता प्राप्त विमानन संगठन/संस्थान के ऑपरेशन अनुभाग में उड़ानों से संबंधित अभिलेखों, फ्लाइट दस्तावेजों के संधारण, लॉगबुक रख–रखाव, उड़ान कार्यक्रम (Flight Schedule) के समन्वय तथा ऑपरेशन अभिलेखों के संधारण से संबंधित न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव।	तथैव	तथैव	तथैव	तथैव
41	मेडिकल ऑफिसर Medical Officer	स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर (स्थाई पद)	वेतनस्तर–9 से अन्यून स्तर के चिकित्सा पदाधिकारी	–	–	–	–
42	पारा मेडिकल स्टॉफ Para Medical Staff	स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर (स्थाई पद)	वेतनस्तर–4 से अन्यून स्तर के चिकित्सा/स्वास्थ्य कर्मी	–	–	–	–

16/9/26

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सरकार के सचिव